

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र सं० 73/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूधारी) बीदारार जिला चूरु राजस्थान

..... प्राथी

बनाम

1. श्रीमती निर्मलाकंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
2. श्री रघुवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
3. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधि.

निर्णय

दिनांक 20-7-22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 के खातेदारी खेत खसरा सं. 1257/720 तादादी 0.4805 है0 वाके रोही ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरु के खातेदार कृषक है ओर उनके नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि कृषि प्रयोजन की भूमि है ओर वादगत भूमि ग्राम पारेवड़ा की आबादी के चिपती हुई है इसलिए अप्रार्थीगण ने वादगत भूमि पर मकानात बनाकर वादगत भूमि का आवासीय उपयोग किया जा रहा है जबकि प्रार्थी वादी तहसीलदार बीदासर भूमि धारक है तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थीगण को भूमि का किस्म परिवर्तन का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण ने विधी विरुद्ध कृषि कार्य करने का खातेदारी भूमि में अधिकार दिया गया है। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा ली जानी आवश्यक होती है। वादगत भूमि में आवासीय मकानात काफी व्यक्तियों ने बना रखे हैं ओर उनकी देखादेखी से अन्य लोगो द्वारा भी भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है वादगत भूमि में पैदावार होना संभव नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा वादगत भूमि में कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने एवं कृषि भूमि की खातेदारी भूमि खारिज करने व आबाद व्यक्तियों द्वारा भूमि रिक्त किये जाने का कहा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया जिस पर यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश किया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार.....2

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अपने बयान लेखबद्ध करवाये तथा हल्का पटवारी ने वादगत खसरेजात की भूमि में कृषि भूमि को अकृषि भूमि अर्थात् किस्म परिवर्तन कर आबाद व्यक्तियों बाबत रिपोर्ट पेश की गई हैं। अप्रार्थीगण ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा है कि वादगत भूमि ग्राम पारेवड़ा की आबादी के चिपती हुई भूमि है और वादगत भूमि में कृषि कार्य नहीं किया जाता है तथा वादगत भूमि को बहुत सारे व्यक्तियों को आबाद होने के लिए अर्थात् बसने के लिए दे दी गई है और वादगत भूमि में अन्य व्यक्तियों ने अपने आवास निवास के लिए मकानात का निर्माण कर लिया है तथा बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे हैं। वादगत भूमि पर काफी लोग आबाद हो चुके हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया हल्का पटवारी की रिपोर्ट से व अप्रार्थीगण के बयानों से यह पूर्णरूप से साबित है कि वादगत भूमि पर काफी लोग आबाद हो चुके हैं। वादगत भूमि की किस्म बदल चुकी है अर्थात् कृषि से अकृषि कार्य में वादगत भूमि तब्दील हो चुकी है। वादगत भूमि पर काश्त होनी संभव नहीं है। वादगत भूमि की किस्म परिवर्तन करने का बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं है। वादगत भूमि का भू-धारक प्रार्थी है। वादगत भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने का अप्रार्थीगण को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अधिकार नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्योयोचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 01 ता 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में वादगत खेत खसरा नम्बर 1257/720 तादादी 0.4805 है० वाके रोही ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर की भूमि की खातेदारी खारिज की जाकर वादगत खसरेजात की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक घोषित की जाती है। वादगत खसरेजात की भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादगत खसरेजात की भूमि पर अप्रार्थीगण व अन्य आबाद व्यक्ति हैं उनसे वादगत भूमि रिक्त करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक...20-7-22.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर